आयोजनागत

सं0– 324/XXVIII (1) 2004– 42/2004

प्रेषक,

अतर सिंह
उप सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक, (होम्योपैथी)
होम्योपैथिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक : 18 मार्च 2005

विषयः राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, श्यामपुर हरिद्वार के भवन निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–25प/31/2001/2003–04/2255 दिनांक 28. जनवरी.2004 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय इस वित्तीय वर्ष 2004–05 मे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, श्यामपुर हरिद्वार के भवन निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रू0 3,20,000–00(रू0 तीन लाख बीस हजार मात्र) के आगणन पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 3,20,000–00 (रू0 तीन लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते है।

2– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत अनुमोदित दरों को जो शिड्यूल आफ रेट मे स्वीकृति नही हैं , अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा एवं स्वीकृति मानक से अधिक किसी भी दशा में न होगा।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितने की स्वीकृति मानक हैं स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखने एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारीयों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देषों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8— बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका स्टोर पर्चेज रूल्स ,डी0जी0एस0एन0डी0की दरें अथवा टेंडर कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय —समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

9— आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। निर्माण सामाग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10— कार्य कराते समय उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, उत्तरांचल के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ऐजेन्सी का होगा।

11— उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004—05 के अनुदान संख्या —12 के लेखाशीर्षक 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय —आयोजनागत —03—चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —102 होम्योपैथिक —03 होम्योपैथिक चिकित्सा —00—24 वृहत निर्माण कार्य की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

12— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0 1221/वित्त अनुभाग—2/05दिनांक 16मार्च,2005 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वार।
3— निदेशक, होम्योपैथिक उत्तरांचल देहरादून।
4— परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम हरिद्वार।
5— वित्त अनुभाग—2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
6— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव